

27-6-19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।
 वकील प्राधी ने अवगत कराया कि दोनों
 पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है, जिसे
 आगामी तारीख पेशी को पेश कर दिया जायेगा।
 अतः पत्रावली वसूले राजीनामा पेश करने हेतु
 दि. 18-7-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

18-7-19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।
 राजीनामा पेश करने हेतु समय चाहा। समय
 दिया जाकर पत्रावली दिनांक 1-8-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

1-8-19 पत्रावली पेश हुई। बार ए. मोमिनेंसन द्वारा ग्यापिक
 कार्य का बहिष्कार रखा गया। अतः पत्रावली दिनांक
 19/9/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

19/9/19

पत्रावली पेश हुई। बार ए. मोमिनेंसन द्वारा ग्यापिक
 कार्य का बहिष्कार रखा गया। अतः पत्रावली दिनांक
 19/9/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

31-10-19 पत्रावली पेश हुई। बार ए. मोमिनेंसन द्वारा ग्यापिक
 कार्य का बहिष्कार रखा गया। अतः पत्रावली दिनांक
 5-12-19 को पेश हो।

5-12-19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील
 उपस्थित। प्रकरण में वकील प्राधी ने
 Not Proceed जाहीर किया। अतः प्राधी का

From no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला

अदालत उपखण्ड अधिकारी

मास्ती देवी

बनाम लि. देवी

प मुकदमा :- 212 R-T.A.C

नंबर 1575 वर्ष 2

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज नंबर व तारीख अ
 हुकम की तामील

प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से
 कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)

